



उत्तर प्रदेश शासन।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-10/2021/1174 /77-6-2021-4(बजट)/16टीसी
लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021
संशोधन/ शुद्धि-पत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 वित्तीय निगम के प्रस्ताव के क्रम में पात्र 05 इकाईयों को ब्याजमुक्त ऋण हेतु समेकित धनराशि रु.480.26 लाख(रुपये चार सौ अस्सी लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-09/2021/249/77-6-2021-4(बजट)/17टीसी दिनांक 04 मार्च, 2021 को निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश की तालिका के क्र0सं0-1 पर उल्लिखित इकाई मेसर्स विहान बोर्ड प्रा0लि0, मुरादाबाद(वित्तीय वर्ष 2013-14) के सम्मुख अंकित ऋण स्वीकृत धनराशि रु. 27.23 के स्थान पर टंकण वृटिवश रु. 27.33 अंकित हो गयी है।

2- अतः शासनादेश संख्या-09/2021/249/77-6-2021-4(बजट)/17टीसी दिनांक 04 मार्च,2021 की तालिका के क्र0सं0-1 पर उल्लिखित इकाई मेसर्स विहान बोर्ड प्रा0लि0, मुरादाबाद(वित्तीय वर्ष 2013-14) के सम्मुख अंकित ऋण स्वीकृत धनराशि रु. 27.23लाख पढ़ी जाय।

3. उक्त शासनादेश संख्या- 09/2021/249/77-6-2021-4(बजट)/17टीसी दिनांक 04 मार्च,2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या: 10/2021/1174 (1)/77-6-2021-4(बजट)/16टीसी तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,प्रथम/द्वितीय, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., प्रयागराज ।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम,कानपुर को उनके पत्रांक-1962/वि0नि0/ वि0यो0वि0 /2020-21 दिनांक 15.03.2021 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 8- नियोजन अनुभाग-1/4
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।